न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 56 /2023

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अग्रेजसिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ
2. बलतेज सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. दर्शन सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. कर्मजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
3. परमजीत उर्फ कर्मजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। **–प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीगण

2. श्री मनीराम सहू–वकील प्रति 1 ता 3

निर्णय **दिनांक** :–

वादीगण अग्रेजसिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 6/02/2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण प्रतिवादी सं 1 के पुत्र व प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के भाई है प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक न 10 ए.एम.पी. ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 मे 1.518 हे0 व चक न. 11 एम.जे.डी के खाता सख्या 56/28 मे 2.024हे0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हे। जिसकी प्रति सलग्न वादपत्र है। कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न 10 ए.एम.पी. ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 मे 1.518 हे0 व चक न. 11 एम.जे.डी ज.स 2072–2075 के खाता सख्या 56/28 मे 2.024हे0 भूमि

दर्ज राजस्व रिकार्ड हे। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 की विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 व 3 का प्रतिवादी सख्या 1 के बराबर ब.ही.ब हक व हिस्सा जन्म से बनता है प्रतिवादी सख्या 2 व 3 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी सख्या 1 व 2 व प्रतिवादी सख्या 1 के पक्ष मे ब.ही.ब कर दिया है। उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सखया 1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन कर लिया है। मुताबिक घरू विभाजन वादी सख्या 1 को चक न. 11 एम.जे.डी ज.स 2072–2075 के खाता सख्या 56/28 मे 1.518हे0 भूमि हिस्सा मे आई है। व वादी सख्या 2 को चक न 10 ए.एम.पी ज.स 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 मे 1.265 हे0 भूमि हिस्सा मे आई है व प्रतिवादी सख्या 1 को चक न. 11 एम.जे.डी ज.स 2072–2075 के खाता सख्या 56/28 मे 0.506ह0 व चक न 10 ए.एम.पी ज.स 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 मे 0.253हे0 भूमि हिस्सा मे आई है। वादीगण इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 3 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा व उक्त भूमि को रहन बैय न करे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि वाद पत्र बाबत घोषण व शाश्वत व्यादेश का हैं जो उचित 2/–रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। की प्रतिवादी संख्या 4 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें।– प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक न 10 ए.एम.पी. ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 मे 1.518 हे0 भूमि मे से वादी सख्या 2 को 1.265 हे0 भूमि व चक न. 11 एम.जे.डी के खाता सख्या 56/28 मे 2.024हे0 भुमि मे से वादी सख्या 1 को 1.518 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 का इसी अनुसार हिस्सा कम किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 4 का ज्बाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न

होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं चक न 10 ए.एम.पी. ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 व चक न. 11 एम.जे.डी के खाता सख्या 56/28 नहरी कृाष भूमि जो प्रदर्श 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न 10 ए.एम.पी. ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 मे 1.518 हे0 भूमि मे से वादी सख्या 2 को 1.265 हे0 भूमि व चक न. 11 एम.जे.डी के खाता सख्या 56/28 मे 2.024हे0 भुमि मे से वादी सख्या 1 को 1.518 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोाषत कर प्रतिवादी सख्या 1 का इसी अनुसार हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्श किये गए व विरासतन इन्तकाल का अवलोकर किया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 व 2 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिकी किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न 10 ए.एम.पी. ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 मे 1.518 हे0 भूमि मे से वादी सख्या 2 को 1.265 हे0 भूमि व चक न. 11 एम.जे.डी के खाता सख्या 56/28 मे 2.024हे0 भुमि मे से वादी सख्या 1 को 1.518 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोाषत कर प्रतिवादी सख्या 1 का इसी अनुसार हिस्सा कम किया जावे।पर्चा डिकी अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 56/2023

वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

1. अग्रेजसिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ
2. बलतेज सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. दर्शन सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. कर्मजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
3. परमजीत उर्फ कर्मजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। **–प्रतिवादीगण**

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मझ़ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न 10 ए.एम.पी. ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 31/2 मे 1.518 हे0 भूमि मे से वादी सख्या 2 को 1. 265 हे0 भूमि व चक न. 11 एम.जे.डी के खाता सख्या 56/28 मे 2.024हे0 भूमि मे से वादी सख्या 1 को 1.518 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोंषित कर प्रतिवादी सख्या 1 का इसी अनुसार हिस्सा कम किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज............नल...............मुब्लिक...........निल....................बाबत..........निल........... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/03/2023 जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official